राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, शाहपुरा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी टीकम चन्द बोहरा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 02/2023 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री सज्जन सिंह पुत्र रामनाथ सिंह चारण निवासी पारोली तहसील कोटड़ी जिला शाहपुरा	बनाम	लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी जिला शाहपुरा
---अपीलार्थी		---प्रत्यर्थीगण

न्यायालय जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.) सत्यमेव जयते

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक :19.01.2024

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोटडी जिला शाहपुरा के विरूद्ध दिनांक 06.12.2023 को प्राप्त हुई, जिसमें निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/– रू का एक पोस्टल ऑर्डर संख्या 65 सी 731837, 83 के साथ एक आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी को दिनांक 18.10.2023 को प्रेषित किया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

2. प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 13.12.2023 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी के कार्यालय के पत्रांक 26 दिनांक 03.01.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं :–

3. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गयी सूचना/जवाब कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी के पत्रांक 1335 दिनांक 19.12.2023 से अपीलार्थी/प्रार्थी को प्रेषित कर दी गयी है, जिसकी प्राप्ति रसीद प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर कर दी गई। साथ ही तहसीलदार कोटड़ी द्वारा पत्रांक 2759 दिनांक 18.12.2023 से अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा आवेदित बिन्दूवार सूचना के संबंध में किस्म परिवर्तन के बाबत् किसी प्रकार का कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ है।

4. उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

5. आदेश आज दिनांक 19.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(टीकम चन्द बोहरा)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी

जिला कलक्टर
शाहपुरा